| तारीख हुक्म | | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **भूपेन्द्र सिंह गहलोत बनाम**<br>**लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–तृतीय जोधपुर)**<br>सू.अ.अपील संख्या 10 / 2024 | |
| 08–04–24 | अपीलार्थी भूपेन्द्र सिंह गहलोत निवासी सुखाला बेरा, मण्डोर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07 / 11 / 2023 में (1) स्व. श्री प्रेमसिंह गहलोत के विधिक प्रतिनिधि के रूप में भूपेन्द्र सिंह गहलोत के द्वारा संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जोधपुर के माध्यम से जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन एवं सहायता को किए गए कोविड 19 क्लेम प्रकरण की स्थिति तथा सम्पूर्ण प्रकरण की फाईल नोटिंग व कॉरस्पॉडन्स प्रदान करने एवं अन्य बिन्दुओ से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–तृतीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–तृतीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–तृतीय जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–तृतीय जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं [illegible] से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ [illegible] है। आदेश सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:20:15 IST
Reason: SelfAttested